न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 64/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/165

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
मोतीसिंह पुत्र हनुमानसिंह, जाति जाट, निवासी– ए–230, संजय नगर, जोशी मार्ग, झोटवाड़ा, जयपुर जरिये आममुख्तयार प्रियंका चौधरी पुत्री श्री मोतीसिंह, जाति जाट, निवासी– ए–230, संजय नगर, जोशी मार्ग, झोटवाड़ा, जयपुर।	बनाम	1. रेल मंत्रालय (उत्तर–पश्चिम रेल्वे (निर्माण संगठन), नई दिल्ली जरिये सचिव 2. भारत संघ जरिये महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिमी रेल्वे, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नावां।

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 20 (एफ)(6) रेल्वे अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20.01.2022 हेतु।</u>

–:निर्णय:–

दिनांक : 18.02.2026

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:– केन्द्रीय सरकार ने रेल्वे अधिनियम 1989 के तहत राजस्थान राज्य के पुराने नागौर जिले तथा वर्तमान डीडवाना–कुचामन जिले में ''उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मिठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटड रेल लाईन के निर्माण'' की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु रेल्वे अधनियम 1989 की धारा 2 के खण्ड (7 क) के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नावां को अधिसूचना दिनांक 31.12.2019 के सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है। रेल्वे अधिनियम 1989 की धारा 20 क के अन्तर्गत जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मीठड़ी, स्टेशनों के मध्य चल स्टाक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटेड रेल लाईन के निर्माण की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 09.06.2020 को अधिसूचना जारी की गई। जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.06.2020 को प्रकाशित करवाकर हितकारक व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई। जिस पर उक्त निर्धारित समयावधि में कुल 33 आपत्तियां प्राप्त हुई। उक्त आपत्तियों में समुचित सुनवाई नहीं करके समस्त आपत्तियों को खारिज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रार्थीगण की नमक उत्पादक ईकाई की व्यवसायिक भूमि है जो वाके गुढ़ा साल्ट/जाबदीनगर में स्थित है। उक्त भूमि से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की मौजा गुढ़ा साल्ट/जाब्दीनगर तहसील नावां में से खसरा नम्बर 66 कुल रकबा 2.4500 हैक्टेयर में से रेल्वे लाईन के लिए 0.8155 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। प्रार्थीगण की उक्त औद्योगिक ईकाई के मुआवजे की राशि का विधिनुसार निर्धारण नहीं किया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 20(च)(6)(7) संशोधित रेल्वे अधिनियम 1989 व धारा 26 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम 1996 के अधिकारों का उपयोग करते हुये प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भूमि व इस अवाप्ति के कारण उनके व्यवसाय को पहुची क्षति व उन्हें स्थान/निवास स्थान व अन्य व्यवसाय करने पर होनी वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुये मुआवजा की राशि तय करके प्रार्थी को मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भूमि अवाप्ति की दिनांक से दिलवाये जावें व अन्य अनुतोष लाभार्थी प्रार्थी को दिलवाये जावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2024/480 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नावां से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, नावां के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2025/70 दिंनाक 25.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुढ़ा साल्ट के खसरा नम्बर 66 (पुराना) व नया खसरा नम्बर 758/66 (0.8155 हैक्टेयर) वर्तमान में उपरे विभाग भारत सरकार के नाम नामान्तरण दर्ज जो कि प्रार्थी की भूमि में से अधिग्रहित की गई है। खसरा नम्बर 759/66 (0.1541 हैक्टेयर) व खसरा 760/66 (1.4804 हैक्टेयर) किस्म लवण क्षेत्र जमाबन्दी के अनुसार गोपाल पुत्र आसुराम हिस्सा पुर्ण जाति सोनी साकिन सुजानगढ़ लीज होल्डर के नाम दर्ज रहा है, उक्त खसरा में मौके पर नमक उत्पान हेतु क्यार/खारडा बने हुए है। उक्त खसरान में प्रार्थी द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त भू–खण्ड की उपयोगिता समाप्त हो गई है, यह पुर्णतया आधारहीन है एवं तथ्यों से परे है। मुआवजों की गणना सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। प्रार्थी को पूर्व में ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा का निर्धारण खसरा संख्या 66 का मुआवजा लवण क्षेत्र की डीएलसी दर 705482 रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 0.8155 का 576727 व गुणक 1.50 लगाने से राशि रूपये 705482 व अवार्ड अनुसार कॉलम 10 व 14 का योग 705442 व [illegible] 0 ई अनुसार 08.12.2021 से 20.01.2022 का ब्याज 106574 के आधार पर कुल मुआवजा राशि 1608304 रूपये का भुगतान चेक संख्या 010101 दिनांक 08.10.2022 को [illegible] आवेदक श्री मोतीसिंह चौधरी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

कर दिया गया है। उक्त खसरे को बारानी भूमि मानते हुए मुआवजा तय नहीं किया गया है लवण क्षेत्र के हिसाब से अवार्ड से गणना की गई है। अवार्ड सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया गया है इस बाबत् रेल्वे, राजस्व एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के अधिकारियों द्वारा साईट सर्वे करके अवाप्त की जाने वाली भूमि में संरचनाएं, भूमि का विवरण, पेड़ों की संख्या व ट्यूबवेल/कुआ आदि का विवरण दर्शा कर हितवद्ध मालिक/खातेदारों को सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। तत्पश्चात् लवण क्षेत्र की डीएलसी दर से अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका एवं मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है जो की न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी द्वारा वर्णित समस्त तथ्य निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

बहस पत्रावली सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई जाकर ही मुआवजा निर्धारण कर अवार्ड जारी किये गये। प्रार्थी को अवार्ड एवं संशोधित अवार्ड अनुसार समय पर मुआवजा भुगतान किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवॉर्ड की गणना नियमानुसार संयुक्त सर्वे करवाकर की गयी है जो कि न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

18.02.2026

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:03:23 IST
Reason: SelfAttested